

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

Original Application No 614 / 2022

In the Matter of:-

Rasesh B Vissanji and Ors.

--- Applicant

Vs.

State of Uttarakhand

--- Respondents

NDOH: 12.08.2024

Index

SL. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Additional status report by way of affidavit on behalf of the Public Works Department, Uttarakhand in compliance with directions passed by the Hon'ble NGT vide its order dated 02.05.2024.	
2	Annexure A: Letter by PWD to the District Magistrate.	
3	Annexure B: The land allotment letter by the District Magistrate.	
4	Annexure C: Joint Inspection Report dated 26.07.2024	
5	Annexure D: Letter from the Public Works Department to the District Magistrate requesting adjustment of land allocation for compensatory tree plantation.	

Egt

6	Annexure E: Receipt of the online proposal submitted to the Divisional Forest Officer, Almora Forest Division, on 08.08.2024.	
---	---	--

**Filed By****DEEPAK BORA**

Counsel for the State of Uttarakhand

17, New Lawyers Chambers,

Setalvad Block,

Supreme Court of India

New Delhi-110001

Mobile No. 9971578987



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL

BENCH, NEW DELHI

Original Application No 614 / 2022

In the Matter of:-

Rasesh B Vissanji and Ors.

--- Applicant

Vs.

State of Uttarakhand

--- Respondents

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL VIDE ITS ORDER DATED 02.05.2024

I, **VIBHOR GUPTA S/O SHRI RAMESH KUMAR GUPTA** aged about 34 years, presently posted as Executive Engineer Construction Division Public Works Department, Almora, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:


1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file a present Response



Egupt

by way of an Affidavit on behalf of the Public Works Department.

2. That this Additional Status Report is submitted in continuation of the previously filed status report, the contents of which are not reiterated herein for the sake of brevity.
3. That the undersigned vide office letter No. 2071/3C dated 20.07.2024, made a request to the District Magistrate for the allocation of land for compensation tree plantation. The land, as allotted by the District Magistrate vide his letter No. 0-5934/26-FC/2023-24 dated 25.06.2024, shall be designated in lieu of the Artola-Jageshwar-Naini Seraghat Motor Road. The specified motor road stretches from Chitai Pant Tirahe of Almora-Ghat Motor Road (beyond Haridatt Petshali Inter College) to Petshal, covering an area of 3.58 hectares. Additionally, from 18 km of Almora-Bajjnath-Gwaldam-Karnprayag Motor Road, extending from Ram Mandir to Gunkande Tok, an area of 1.44 hectares is involved in the land allocation request. The copies of the said letters have been annexed herewith and are marked as **Annexures A and B** respectively.
4. That, the District Magistrate's office was directed to evaluate the suitability of the previously allotted land and to request the adjustment of suitable land accordingly. Subsequently, during a joint inspection conducted by the Forest Department, Revenue Department, and Public Works Department on 26.07.2024, certain portions of land were



Egnt

deemed suitable. A copy of the said inspection report has been annexed herewith and is marked as **Annexure C**.

5. That the undersigned, vide office letter No. 2259/3C dated 01.08.2024, once again made a request to the District Magistrate, Almora, for the adjustment of land allocation for compensatory tree plantation. In response to this request, the District Magistrate, Almora, vide his letter No. 6973/Chhabbis-7/2023-24 dated 05.08.2024, allocated civil land in Field No. 1586M and 1729M, falling under Category 9 (3) E of road in District Almora, Tehsil Bhikiyasain, Village Saskhet, for the purpose of compensatory tree plantation. That, a copy of the said letter has been annexed herewith and is marked as **Annexure D**.
6. That, following the allocation of land, all necessary forms for compensatory tree plantation were duly prepared and signed by the Forest Range Officer, Sub-District Officer, and Divisional Forest Officer. After addressing the objections raised by the Chief Forest Conservator and Nodal Officer, Forest Conservator, Indira Nagar Forest Colony, Uttarakhand, Dehradun, the proposal for the transfer of forest land was reconstituted and submitted. That, this proposal was subsequently sent online to the Divisional Forest Officer, Almora Forest Division, Almora, on 08.08.2024. A copy of the said acknowledgement has been annexed herewith and is marked as **Annexure E**.

That, following the restoration of in-principle approval, the construction work on the road shall commence in accordance with the applicable rules, contingent upon obtaining the



[Handwritten signature]

necessary working permission from the Divisional Forest Officer.

8. That the present response by way of an Affidavit in compliance with the direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT



VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and say that the contents of my above report by way of the affidavit are true and correct to my knowledge based on the record, no part of it is false, and nothing material has been concealed therefrom. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Almora, Uttarakhand, on this 9th day of August 2024.



Certified that Sri/Smt. Vibhor Gupta
the deponent identified by Sr. Tika Singh Kholia
sworn & verified the contents of (S.A.O.)
this affidavit at Almora
on date 09-08-24 at 5.00 P.M.


DEPONENT


Chandra Shekhar Kapkoti
Notary
H. Q. - ALMORA (U. K.)
Reg. No-29(02) 2017

VIBHOR GUPTA
Executive Engineer,
Construction Division,
Public Works Department,
Almora, Uttarakhand,


Filed By
DEEPAK BORA

Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India
New Delhi-110001
Mobile No. 9971578987





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा



E-mail-eeedalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक 2071 / 3 सी० व० प्र०

दिनांक 20/07/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- आपका पत्रांक-5934/छब्बीस-एफ0सी0/2023-24 दि०. 25.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ने वाले मोटर मार्गों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि आवंटित की गयी है। जिसके क्रम में अनुरोध है कि क्रमांक 02 में अंकित कार्य मानस खण्ड के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत आरतोला-जागेश्वर-नैनी-सेराघाट मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तित करने का कार्य (प्रथम चरण) ल० 5.80 किमी० (पत्र की प्रति संलग्न) हेतु 5.514 है० सिविल भूमि तहसील स्याल्दे में आवंटित की गयी है। उक्त कार्य में सिंगल लेन से डबल लेन करने में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः वृक्षों के कटान हेतु व्यापक असहमति व्यक्त की गयी है। जिस कारण उक्त मोटर मार्ग का निरस्तीकरण होना है। जिसका निरस्तीकरण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किया जा रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त के स्थान पर अन्य 02 महत्वपूर्ण कार्यों हेतु भूमि आवंटित करने की कृपा करें। जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र०	कार्य का नाम	वांछित सिविल भूमि है०	टिप्पणी
1	राज्य योजना के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग	3.58	उक्त प्रकरण माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में गतिमान है। अतः प्रकरण अति महत्वपूर्ण होने के कारण उक्त मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए दोगुने क्षेत्रफल 3.58 है० में सिविल भूमि की आवश्यकता है।
2	जनवद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर क्षेत्र के अन्तर्गत अल्मोड़ा-बैजनाथ-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के किमी० 18 से राममन्दिर से गुणकाण्डे तक तक मोटर मार्ग	1.44	उक्त मोटर मार्ग में उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-485/X-3-23/1 (43)/2023 dt 01-05-2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें की शर्त सं० 2 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.44 है० में पौधारोपण किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है।
	योग	5.02	

क्रमांक 02 में अंकित कार्य हेतु 5.514 है० सिविल भूमि आवंटित है तथा उक्त 02 कार्यों हेतु मात्र 5.02 है० सिविल भूमि की आवश्यकता है। अतः उक्त 02 कार्यों हेतु प्राप्त सिविल भूमि को आवंटित करने की कृपा करें।

संलग्न-यथोपरि।

(इ० विमोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

पत्रांक / 3सी.(व.भू) दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता, नोडल, नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- अमीन, नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मो.



कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या-5734/छत्तीस-एफ0री0/2023-24 दिनांक 25 जून, 2024

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- प्राप्त मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1483/3सी व0भू0 दिनांक 22-05-2024, एवं पत्र संख्या-1485/3 सी व0भू0 दिनांक 22-05-2024, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव में से 42 मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 283.5555 हे0 सिविल भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में सिविल भूमि गिम्नानुसार आवंटित की जा रही है:-


क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	व्यंजित भूमि हे0 में	तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	भूमि की श्रेणी	खेत/खाता खसरा सं0	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल हे0
01	02	03	04	05	06	07	08
01	मानस खण्ड परियोजना के आन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कोसी-कौसानी-वैजनाथ मोटर मार्ग (कोसी-कौसानी प्रभाग) एस0एच0-11 को डबल लेन में परिवर्तित करने का कार्य (प्रथम चरण) लम्बाई-39.00 किमी0	24.435	रवादे	गतागोली कमान गडरवारी कभेटवानी कलियसिंगुड कधरवाड़ी कधरवाड़ी कधरवाड़ी कधरवाड़ी कधरवाड़ी	0(0)अ	7742 9 1454 182 5775 1784 1791 2760/ 2745	0.021 2.487 2.08 2.106 4.678 2.102 2.598 5.079
02	मानस खण्ड परियोजना के आन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत आरतोला-जागेश्वर-नैनी-सेराघाट मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तित करने का कार्य (प्रथम चरण) लम्बाई-5.80 किमी0	5.514		परंगल दुबसिल दुबसिल दुबसिल दुबसिल दुबसिल दुबसिल दुबसिल दुबसिल ससखेत		2760/ 2747 73/2742 111 1580 1126 1127 1566 1568 1579 1571 1006	5.079 3.025 3.986 2.388 2.723 2.703 4.894 4.052 3.41 3.851 3.233
03	मानस खण्ड परियोजना के आन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालवाग के अन्तर्गत एन0टी0डी0-कफड़खान मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तित करने का कार्य (प्रथम चरण) लम्बाई-10.120 किमी0	10.120					
04	मा0मु0 घो0 सं 820/2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में अल्मोड़ा-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग में ग्वालाकोट से चुलेख तक 1.50 किमी0 मोटर का नव निर्माण कार्य।	1.08					
05	जनपद अल्मोड़ा में पूनाकोट से कालिका मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.34					
06	मा0मु0घो0सं0 207/2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा सोमेश्वर में भाड़ी से कुवाली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.33					

पेज-2

07	पनेटह पत्थरीखानी धौलछीना मोटर मार्ग	12.68		सरादेत साल्लेन नेमल नेमल स-प्रासत कामलदाम न-प्रासत	ब(3)र	1586	3.335
08	विधान सभा जागेश्वर के अन्तर्गत सुवाखान-चलनीछीना मोटर मार्ग के फटपतिया से ग्राम कोल-भेरी-टाक तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.27				1729	3.208
						3388	2.197
						3392	2.011
						2022	2.187
						1945	3.459
						2819	2.03
09	मा0मु0घो0स0 207/2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा सोमेश्वर में जखेत बैण्ड से राजकीय इण्टर कालेज एना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	5.58				2297	3.288
						4890	2.049
						3322	2.716
						3363	2.752
						3453	4.274
						2865	2.014
10	मा0मु0घो0 सं 214/2021 के अन्तर्गत विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत महतगांव कालिका मन्दिर पाटेछीना गुजर आगणी दूगौडकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.285		व्यासरीन मलखीरा/ चक/ओखल्यो मल्ला भाकुडा केसानी कफलदाना खडकेस कुलतीरा सदे पालपुर बराहाखाल बराहाखाल पेहलगाव पीपलगाव मल्ला भाकुडा मल्ला भाकुडा मलखीरा/ चक/ओखल्यो केसानी कफलदाना		483	2.859
						1506	7.335
						2585	2.631
						1789	2.457
						1657	3.602
						1931	2.258.
						974	2.047
						1942	2.437
						1080	3.268
						1093	3.4
12	विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत मनान-बलेत-बहमपोखरी मोटर मार्ग के किमी 07 है0 8-10 से तक तक दूणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.193				573	2.816
						1650	3.866
						4903	3.449
						1506	7.335
						483	2.869
						2585	2.631
						1789	2.457
13	विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत ग्राम कौसानी से डौनी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.750				6724	13.219
14	विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत ग्राम भेटुली से ए0एन0सेन्टर धारीना तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.10	द्वाराहाट	मटेला			
15	विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत विजौरिया पन्थीसी से तक गोविन्दपुर (कुमना) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.78					
16	विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या-आरासल्फड मोटर मार्ग से फाराखोली-मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.60					
17	विधान सभा जागेश्वर के अन्तर्गत भगरतोला-घमुवा-कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.01					
18	मकाड़ाऊ-दसौला मोटर मार्ग	3.929					
19	धौलादेवी-चिल मोटर मार्ग से सिन्धियामल्ला-तडकोट-गुणादित्य मोटर मार्ग का निर्माण	6.164					
20	विकास खण्ड धौलादेवी में गुरुइबाज से काने तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	8.396					
21	विधान सभा जागेश्वर के अन्तर्गत खोला मोटर मार्ग से बरतोली वानठोक मोटर मार्ग का निर्माण	5.292					


22	शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग का बसौली तक विस्तार	4.70					
23	विधान सभा जागेश्वर के अन्तर्गत काफलीखान-भनोली मोटर मार्ग से झालडुंगरा से कुरी-बयाली-स्वाडी-पाली से जमाड़ मुख्य मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग	12.150					
24	विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत सोनासिलिंग से कमुवाकोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.3025					
25	विधान सभा जागेश्वर में अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग के ग्रामसभा गुरुड़ा के तोक रतेड़ी को जोड़ने हेतु गुरुड़बाज के गैंगहट से रतेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.22					
26	विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत बाड़छीना-सेराघाट के किमी 0 28 ग्राम कनारीछीना से बिनूक बतलचौरा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	7.92					
							159.3

अतः उक्तानुसार तहसील खाल्दे तथा द्वाराहाट के उक्त उल्लिखित ग्रामों के खेत संख्या में उल्लिखित कुल **159.3** है 0 भूमि का उपयोग उक्त मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण मे किया जाना सुनिश्चित करें। तथा अवशेष बची भूमि का विवरण मय खसरा/खता संख्या सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि उक्त भूमि को लैण्ड बैंक में सम्मिलित किया जा सकें।


(विनीत तोमर)
De. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2-अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3-उप जिलाधिकारी, भिकियासैण/सल्ट/द्वाराहाट।


(विनीत तोमर)
De. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।



- ! संयुक्त निरीक्षण आख्या ! -

आज दिनांक 26/07/2024 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के आदेश सं. 5934/दब्बील-सफु.सी./2023-24 दिनांक 25 जून 2024 व श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, मिथमहीण के आदेश सं. 204/मिथि-इति.वृ./2024 दिनांक 12/07/2024 के क्रम में निर्माण खण्ड आ.नि.वि. अल्मोड़ा से श्री मोहन चंद (अमीन), वन विभाग जौरासी एवं श्री महेब चंद जोशी, वन वरेगा श्री विवेक कुमार वन कीट अधिकारी जौरवाल व राजस्व विभाग से श्री मनोज गिरी रा. उ.नि. क्षेत्र खनुवा/खालों ग्राम सखेव के गैर ज.वि. खेतों की खाता संख्या सं. 31 श्रेणी 9(3) ज. क्षेत्र कागल आबाद व खेत संख्या 1006 रकबा 3.233 है. खेत सं. 1586 रकबा 3.335 है. खेत सं. 1724 रकबा 3.208 है. खेतों का इतिवृत्त वृक्षारोपण हेतु निरीक्षण किया गया जिसमें से खेत सं. 1006 रकबा 3.233 है. भूमि सूची में आ.नि.वि. प्रांतिय खाता संख्या को दिनांक 11.11.2023 को इतिवृत्त वृक्षारोपण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है जो भूमि क्षयुक्त पायी गयी है व खेत सं. 1586 रकबा 3.335 व खेत सं. 1724 रकबा 3.208 है. जिसमें से खेत सं. 1586 महुसे 3.000 है. व खेत सं. 1724 महुसे 2.02 है. कुल 5.02 है. श्रेणी में जल संरक्षण व वृक्षारोपण किया जा सकता है।

(मोहन चंद जोशी)
 श्रीमान जौरासी

(विवेक कुमार)
 वन कीट
 जौरवाल

(अमीन)
 निर्माण (एज. ली. नि.)
 अल्मोड़ा

(हस्ताक्षर)


 पत्रांक 2259/3सी. (व.भूमि)
 सेवा में

दिनांक 01/08/2024

 जिलाधिकारी,
 अल्मोड़ा।

विषय:- प्राप्त मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि को समायोजित किये जाने के संबंध में।

 संदर्भ- आपका कार्यालय पत्र सं0 5934/छबीरा-एफ0सी0/2023-24 दिनांक 25.06.2024
 महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा इस खण्ड को विभिन्न मोटर मार्गों हेतु सिविल भूमि आवंटित हुयी है। इस खण्ड के अंतर्गत मानस खण्ड के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत आरतोला-जागेश्वर-नैनी -सेराघाट मोटर मार्ग को सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तित करने का कार्य (प्रथम चरण) ल0 5.80 किमी0 हेतु 5.514 है0 सिविल भूमि आवंटित की गयी है। उक्त कार्य में सिंगल लेन से डबल लेन करने में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः वृक्षों के कटान हेतु व्यापक असहमति व्यक्त की गयी है। जिस कारण उक्त मोटर मार्ग का निरस्तीकरण होना है। जिसका निरस्तीकरण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किया जा रहा है। इस कार्यालय का पत्र सं0 2071/3सी0 व0मू0 दि0 20.07.2024 द्वारा उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उल्लेख करना है कि इस खण्ड के अंतर्गत निम्न दो महत्वपूर्ण मार्ग हैं जिनके वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की आवश्यकता है। उक्त संदर्भित पत्र द्वारा आवंटित भूमि का दिनांक 26.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 31.07.2024 को प्राप्त हुयी है। संयुक्त निरीक्षण में ग्राम ससखेत, रा0उ0नि0 क्षेत्र खल्दुवा के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0 31 श्रेणी 9(3) ड0 बंजर काविल आबाद के खेत सं0 1586 रकबा 3.335 में 3.000 व खेत सं0 1729 रकबा 3.208 में 2.02 इस प्रकार कुल 5.02 है0 भूमि उपयुक्त पायी है। उक्त आवंटित भूमि को निम्न तालिका में अंकित मोटर मार्गों हेतु समायोजित की जानी है:-

क्र	मोटर मार्ग का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खेत सं0	कुल क्षेत्रफल	सी0ए0 हेतु वांछित क्षेत्रफल
1	राज्य योजना के अंतर्गत चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।	ससखेत	1586म0 1729म0	3.335 है0 3.208 है0	3.000 है0 0.580 है0
2	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा- बैजनाथ-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से राममन्दिर से गुणकाण्डे तक तक मोटर मार्ग।	ससखेत	1729म0	3.208 है0	1.440 है0

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त आवंटित भूमि को तालिका में अंकित मोटर मार्गों के नाम से समायोजित करने की कृपा करें।

संलग्न:-संयुक्त निरीक्षण आख्या।


 (इं0 विमर गुप्ता)
 अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

पत्रांक /3सी.(व.भू.) दिनांकित।

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

अभियन्ता अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

विषय:- प्राप्त मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि का समायोजितकिये जाने के सम्बन्ध में।

उपयुक्त विषयक अधिने पत्र संख्या-2259/उसी. (व.भूमि) दिनांक 01 अगस्त, 2024, का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके अन्तर्गत प्राप्त मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित सिविल भूमि जो संयुक्त निरीक्षण में ग्राम ससखेत, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र खल्दुवा, तहसील भिकियासेण के वर जमींदारी विभागा खतीनी खाता सं0-31, श्रेणी-9(3)इ. ग्रजर काविल आवाद के खेत सं0-1596 रकबा 3.335 में 3.000 व खेत सं0-1729 रकबा 3.208 में 2.02 है0 (इस प्रकार 3.000 है0 + 2.02 है0 कुल उपयुक्त 5.02 है0) सिविल भूमि को समायोजन करवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

एतदक्रम में ग्राम ससखेत, तहसील भिकियासेण में उपलब्ध व उपयुक्त पायी गयी कुल 5.02 है0 सिविल भूमि का प्रयोग निम्न वॉछित मोटर मार्गों में उपयोग किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	वॉछित भूमि है0 में	तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	भूमि की श्रेणी	खेत / खाता / खसरा संख्या	उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है0
01	02	03	04	05	06	07	08
01	राज्य योजना के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर काजलेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।	3.000 0.580	भिकियासेण	ससखेत	9(3)इ	1596 म0 1729 म0	3.000 2.02
02	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अल्मोड़ा-बैजनाथ-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से गुगकाण्डे तोक तक मोटर मार्ग।	1.440					
कुल		5.02					5.02

अतः उक्तानुसार तहसील भिकियासेण के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र खल्दुवा मध्ये उक्त उल्लिखित ग्राम के खेत संख्या में उल्लिखित कुल 5.02 है0 भूमि का उपयोग उपरोक्त 02 मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण में करने हेतु अग्रिम कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(विनीत तोमर)

५ जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2-अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3-उप जिलाधिकारी, भिकियासेण।

(विनीत तोमर)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

Write mail

Back

Reply

Reply All

Forward

Move mail

Delete

Spam

INBOX

Bulk

Junk

Sent

Trash

Drafts

Add a new folder

Address Book

Calendar

© 2024 Rediff.com India Limited.
Disclaimer | Privacy Policy | T&C
Feedback

Application Submission - Acknowledgment

From: monitoring-ec <monitoring-ec@nic.in> on Thu, 08 Aug 2024 11:33:27 Add to address book

To: You | See Details



Government of India
Ministry of Environment Forest and Climate Change
Centralized Processing Centre - Green



Acknowledgment

You have successfully submitted your application detailed below:

i) Proposal For	Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land
ii) Proposal No.	FP/UK/OTHERS/485173/2024
iii) Name of the Project	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरीदत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 5.650 किमी०)
iv) Name of the User Agency	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
v) Forest Land Proposed for Diversion	1.79 Ha.
vi) Shape of Project	Linear
vii) Proposal Applied for	Form-A (Part-I): Diversion of Forest Land
viii) Approval Granting Authority	State Secretary (SS)
ix) Location of Project	ALMORA - UTTARAKHAND
x) Category of Proposal	OTHERS
xi) Status of Application	EDS_RAISED

The proposal will be examined by the DFO on its merits. You will be intimated about the various development while processing your case through email or SMS alert.

Address: CPC Green, Ministry of Environment, Forest and Climate
 Chenna Indira Park, New Delhi

David
ASR

Signature
**सहायकी सचिव,
 निर्माण सख्त. नो.नि.वि.
 अल्मोड़ा**

Signature